

मुख्य अभियंता का कार्यालय  
केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध  
जल संसाधन विभाग, अनिसाबाद, पटना

पत्रांक- ..... / पटना, दिनांक- .....

प्रेषक,

ई० रामपुकार रंजन,  
मुख्य अभियंता  
केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध,  
जल संसाधन विभाग, अनिसाबाद, पटना।

सेवा में,

मुख्य अभियंता  
प्रक्षेत्र - पटना, गया, औरंगाबाद, डिहरी, दरभंगा, वीरपुर, समस्तीपुर, पूर्णिया, भागलपुर,  
मुजफ्फरपुर, सिवान एवं वाल्मिकीनगर।

विषय :- वैसे जलीय संरचना जिनमें गेटों का अधिष्ठापन होना है के रूपांकण एवं आलेख्य अनुमोदन के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना आवश्यक प्रतीत होता है कि वैसे जलीय संरचना जिनमें गेटों का अधिष्ठापन होना है, के असैनिक रूपांकण एवं आलेख्य का अनुमोदन आपके स्तर से करने के पश्चात गेटों के इम्बेडेड पार्ट्स एवं गेट के रूपांकण हेतु केन्द्रीय रूपांकण को अनुमोदित असैनिक आलेख्य के साथ अनुरोध किया जाता है। गेटों के रूपांकण में आनेवाली कठिनाईयों से आपको अवगत कराना आवश्यक प्रतीत होता है। गेटों के इम्बेडेड पार्ट्स के सामाजंन हेतु एबटमेन्ट जिनमें एक तरफ से गेटों का अधिष्ठापन होता है, आधा मीटर गेट के इम्बेडेड पार्ट्स के सामंजन एवं आधा मीटर का कभर के प्रावधान के साथ एबटमेन्ट की न्यूनतम चौड़ाई एक मीटर होना तकनीकी रूप से आवश्यक है। पायों के मामले में दो तरफ से गेटों का अधिष्ठापन किया जाता है। प्रत्येक गेट के इम्बेडेड पार्ट्स के सामंजन हेतु आधा मीटर दोनों तरफ से आधा मीटर के दर से कुल एक मीटर तथा बीच में आधा मीटर कभर के प्रावधान के साथ पायों की चौड़ाई कुल 1.5 मीटर (डेढ़ मीटर) न्यूनतम होना तकनीकी रूप से आवश्यक है। प्रायः केन्द्रीय रूपांकण को प्राप्त होने वाले अनुमोदित असैनिक आलेख्य में एबटमेन्ट एवं पायों की चौड़ाई निर्धारित मापदण्ड से कम पाया जाता है। फलस्वरूप गेटों एवं इम्बेडेड पार्ट्स का रूपांकण तकनीकी रूप से असंभव हो जाता है।

अतः जलीय संरचनाओं के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध है :-

1. जलीय संरचनाओं के असैनिक आलेख्य के साथ गेटों का रूपांकण और आलेख्य अनुमोदित किया जाय।
2. असैनिक आलेख्य के अनुमोदन में एबटमेन्ट की चौड़ाई न्यूनतम एक मीटर और पायों की चौड़ाई न्यूनतम डेढ़ मीटर रखी जाय।

उपरोक्त प्रावधानों के फलस्वरूप गेटों का रूपांकण तकनीकी रूप से सम्भव हो सकेगा।

सरकारी पत्रांक 1928  
दिनांक 25-5-15  
जल संसाधन विभाग, पटना।


विश्वासभाजन

ह०/-

मुख्य अभियंता

केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध

जल संसाधन विभाग, अनिसाबाद, पटना




EE-3  
B.S.K.  
25-5-15

17/5/  
21.5.15  
for  
25/5/15

पत्रांक- 566 ✓ दिनांक- 21/05/2015

प्रतिलिपि - मुख्य अभियंता, मॉनिटरिंग जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से भी सभी मुख्य अभियंताओं को निर्देश देने की कृपा की जाय।

  
मुख्य अभियंता

केन्द्रीय रूपांकण एवं शोध  
जल संसाधन विभाग, अनिसाबाद, पटना